

संख्याक-01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 196 / 2020

- 1 जितेन्द्र सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 राजेन्द्र सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राकेश सिहाग वकील वादीगण मिन जामिन मुद्ई श्री दीपक स्वामी अधिवक्ता वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्यायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- (क) चक 9 के आर डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2075-2078 खाता संख्या 96/49 प.न. 0 मु.न. 48 कि.न. 21/1 में 0.021 है. नहरी कुल 0.021 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 2 राजेन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक वादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। (ख) वादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 10 के आर डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2075-2078 खाता संख्या 88/88 प.न. 81/128 मु.न. 26 कि.न.23 ता 25 प्रत्येक में 0.253 है.नहरी कुल 0.759 है.नहरी, प.न. 82/129 मु.न. 35 कि.न. 21 में 0.240 है.नहरी, कि.न. 22/1 में 0.076 है.नहरी, कुल 0.316 है. नहरी कुल खाता 1.075 है.नहरी आराजी में रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाकर "प.न. 82/129 मु.न. 21 में 0.240 है. नहरी" के स्थान पर "प.न.82/129 मु.न. 21 कि.न. 21 में 0.253 है. नहरी " दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानूसार ही वादी संख्या 2 का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9-9-2020 को जारी किया गया।



हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर